<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)</u>

दिनेश व्यास व अन्य **बनाम** तुलसी राम खटीक व अन्य

<u>धारा 111–128 एल0आर0ए</u>   <u>मुकदमा 202 / 2022</u>

04.05.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो नम्बर से कम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर–202 / 2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1 श्री दिनेश पिता नानालाल व्यास(ब्राह्मण) निवासी माणिक्य नगर भीलवाड़ा।
2 श्री नरेश पिता नानालाल व्यास(ब्राह्मण) निवासी माणिक्य नगर भीलवाड़ा।
3 श्री मुकेश पिता नानालाल व्यास(ब्राह्मण) निवासी माणिक्य नगर भीलवाड़ा।
4 श्री मनसुख पिता मोती व्यास(ब्राह्मण) निवासी माणिक्य नगर भीलवाड़ा।
5 श्री मनीष पिता महेश व्यास(ब्राह्मण) निवासी सुभाष नगर भीलवाड़ा।
6 श्री मंयक पिता महेश व्यास(ब्राह्मण) निवासी सुभाष नगर भीलवाड़ा।
7 श्री मितेश पिता महेश व्यास(ब्राह्मण) निवासी सुभाष नगर भीलवाड़ा।
8 श्रीमती माया पत्नि महेश व्यास(ब्राह्मण) निवासी सुभाष नगर भीलवाड़ा।

–प्रार्थीगण

बनाम

1 श्री तुलसी राम पिता नारायण खटीक निवासी भीलवाड़ा।
2 श्री बन्शीलाल पिता नारायण खटीक निवासी भीलवाड़ा।
3 श्री राजकुमार पिता नारायण खटीक निवासी भीलवाड़ा।
4 श्रीमती सीता देवी पुत्री नारायण खटीक निवासी भीलवाड़ा।
5 श्रीमती जेती बाई पत्नि गोकल अहीर निवासी सांगानेरी गेट भीलवाड़ा।
6 श्रीमती नन्दू बाई पत्नि गोवर्धन माली निवासी मालीखेड़ा भीलवाड़ा।
7 राजस्थान राज्ये जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांक 04.05.2022</u>

प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम केवड़ा प0ह0 वाड़ा भू0अ0नि0 भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 531 रकबा 17 हैक्टयर आराजी नम्बर 532 रकबा 0.4932 हैक्टयर आराजी नम्बर 533 रकबा 0.4679 यर आराजी नम्बर 536 रकबा 0.1644 हैक्टयर आराजी नम्बर 675 रकबा 0.0126 हैक्टयर किता 05 कुल रकबा 1.7198 हैक्टयर भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त जियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत जी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। लिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते है। आवेदन स्वीकार ा जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 ग्राम केवड़ा प0ह0 भीलवाड़ा भू0अ0नि0 भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 531 रकबा 0.5817 हैक्टयर आराजी नम्बर 532 रकबा 0.4932 हैक्टयर आराजी नम्बर 533 रकबा 0.4679 हैक्टयर आराजी नम्बर 536 रकबा 0.1644 हैक्टयर आराजी नम्बर 675 रकबा 0.0126 हैक्टयर कुल किता 05 कुल रकबा 1.7198 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर खातेदार है। प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएंव

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम केवड़ा प0ह0 भीलवाड़ा भू0अ0नि0 भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 531 रकबा 0.5817 हैक्टयर आराजी नम्बर 532 रकबा 0.4932 हैक्टयर आराजी नम्बर 533 रकबा 0.4679 हैक्टयर आराजी नम्बर 536 रकबा 0.1644 हैक्टयर आराजी नम्बर 675 रकबा 0.0126 हैक्टयर कुल किता 05 कुल रकबा 1.7198 हैक्टयर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 340/– रूपये तहसीलदार भीलवाडा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थीगण जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये **भू0अ0निरीक्षक भीलवाड़ा 500/–रूपये (पांच सौ रूपये)** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयो में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 भीलवाड़ा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।

(ओम प्रभा)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 04.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया़ जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा